राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1464/2014/उदयपुर

मै0 बालाजी ऑयल एजेन्सीज,
उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर
2.सहायक वाणिजियक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत डी, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अधिकृत अधिवक्ता ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर,उदयपुर जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 148/12–13/कर/उपा(प्र.)उदय में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, उदयपुर जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा, द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2007 को खोले जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 2003–04 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2006 को किया गया था जिसे राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा, की धारा 29(7) में पारित किया तथा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा, की धारा 34 के तहत खोला जाकर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु उपायुक्त(प्रशासन) के समक्ष निवेदन, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया था। इस आवेदन को उपायुक्त (प्रशासन) ने अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कर निर्धारण हेतु विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था। वर्ष 2003–04 के कर निर्धारण हेतु जिस नोटिस को तामील बताया जा रहा है वह व्यवहारी स्वयं पर तामील नहीं था न ही प्राप्तिकर्ता की पहचान अंकित की गई। वर्ष 2003–04 में एकतरफा कर निर्धारण हेतु कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया है। उपायुक्त(प्रशासन) ने बिना उचित कारण बताये आवेदन को अपास्त किया है। अतः उनका निवेदन किया कि ये अधिनियम की धारा 38 तथा वैट अधिनियम की धारा 34 के तहत उचित प्रकरण है इसलिए व्यवहारी के उक्त धारा के तहत

लगातार.............2

18.9.2015

प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर, प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने उपायुक्त(प्रशासन) के आदेश को उचित बताते हुए अपील खारिज किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्षीय बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिनियम तथा वैट अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपायुक्त(प्रशासन) वाणिजियक कर, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2014 में लिखा है कि **"आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2013 में प्रार्थी फर्म की ओर से यह निवेदन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस फर्म से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2003–045 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2006 को पारित किया हैं एवं मांग राशि रू0 1,77,111/– कायम की गई हैं। अतः प्रार्थी फर्म को सुनवाई के बाद नये सिरे से गुणावगणों पर कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः खोलने के आदेश दिये जावे। प्रार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी से टिप्पणी आमंत्रित की गई।**

कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन एवं व्यवसायी की ओर से उपस्थित को सुना गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर व्यवसायी को नोटिस तामिली स्पष्ट है। उक्त आधार पर व्यवसायी को कर निर्धारण हेतु एक मौका दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है"।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी फर्म का कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.01.2006 को एकपक्षीय पारित किया था जिसे पुनः खोलने बाबत प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील की गई थी जो कि उसकी मांग उचित थी। न्याय का भी यही तकाजा है कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अपील आदेश में लिखा गया है कि उपस्थित प्रतिनिधी द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जो अपीलीय अधिकारी का निर्णय सही नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने जो सूचना भेजना बताया है वह किसे व किस पद के व्यक्ति को मिली, स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्ट्या नोटिस की उचित तामीली प्रतीत नहीं होती है। अतः अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त प्रकरण खोले जाने योग्य था लेकिन उपायुक्त(प्रशासन) ने उक्त आधारों के समुचित कारण बताते हुए आवेदन अस्वीकार किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस कारण अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.07.2014 को अपास्त कर, प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिक आदेश पारित करे। अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह **दिनांक 04.11.2015** को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष, समस्त संबंधित रेकार्ड सहित उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार प्रकरण का निष्पादन करे।

18-9-2015

लगातार.............3

फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पुनः सुनवाई हेतु, कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

18-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य